कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन–1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक : 13E-5-5/2021- /हजारीबाग दिनांक

प्रेषक,

ममता प्रियदर्शी, भा0व0से0,
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :– गोन्दलपारा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव **(FP/JH/MIN/139492/2021)** के संबंध में।

प्रसंग :– (क) प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 342 दिनांक 24.04.2026 एवं ज्ञापांक 506 दिनांक 08.06.2026

(ख) आपका ज्ञापांक 1060 दिनांक 29.04.2026

(ख) वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का पत्रांक 2799 दिनांक 10.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 8-11/2025-FC दिनांक 10.11.2025 द्वारा किये गये पृच्छा के बिन्दु संख्या 12(c) के सबंध में Non Forestry activity के विरूद्ध अबतक किया गया कार्यवाही की प्रतिवेदन की मांग की गई है।

इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, बड़कागांव प्रक्षेत्र से स्थलीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर अपने मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

1. मौजा गाली एवं बलोदर के अधिसूचित एवं सीमांकित वनभूमि में कच्चा सड़क पाया गया, जिस मार्ग को वन विभाग एवं ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
2. मौजा के वनभूमि के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों से ईंट निर्माण के लिये मिट्टी का अवैध उत्खनन कर कच्चा ईंट तैयार किया गया है। परंतु चिमनी भट्टा वनसीमा से बाहर है एवं ग्राम गाली में एक पक्का मकान लगभग 4000 वर्गफुट में बना हुआ है, जो सीमांकित वनभूमि के बाहर है।
3. मौजा गाली एवं बलोदर में सीमांकित वनीभूमि के भीतर भूमि समतल एवं परती है, वहाँ पर कुछ ग्रामीणों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। यह अस्थायी प्रकृति की मौसमी खेती है।

साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा सूचित किया गया है कि अवैध अतिक्रमण/उत्खनन करने वालों के विरूद्ध वनवाद (कम्पलेन केश) संख्या 202/2018, 2627/2023, 2676/2023, 2759/2023 एवं 1373/2025 दर्ज किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से प्राप्त पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त

आपका विश्वासी
ह0/–
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

ज्ञापांक 994 दिनांक 15.06.2026

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/06/2026

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

F:\CFH\F.C. Act\Gondalpura Coal Block\13-5-6-2023.docx